

आदेश क्रमांक 23/204 -2001-वि0 I (3) दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001

मेजर आर. डब्ल्यू. कपूर डी. डी. पी. पब्लिक स्कूल अंबाला का को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10+2 स्तर की सम्बधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे ।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

आर.डी. श्योकंद
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक चण्डीगढ़ 29-6-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी डी. ए. ए. को उनके पत्र क्रमांक 2/2001/781 दिनांक 1-6-2001 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यापक मेजर आर. डब्ल्यू. कपूर डी. डी. पी. पब्लिक स्कूल अंबाला चण्डीगढ़
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सेंटर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 11002.

Principal,
Maj. R.N. Kapoor D.A.V. Public School
(Senior Secondary) Ambala Cantt.

Manager,

अधीक्षक विद्यालय-1
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़.